FORM NO. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)
नाम अदालत **जिला कलक्टर, अलवर** मुकाम **अलवर**
उनवान **सरकार बनाम दीपक**
किस्म मुकदमा **प्रा0पत्र वास्ते सुपुर्दगी आर.बी.एक्ट** नम्बर **15/187/2022 दा0दि0 27.06.2022**

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.10.2022	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी हेड कॉन्स्टेबल महिपाल सिंह थाना मानेसर, गुरूग्राम, हरियाणा द्वारा केस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कैन्टर सं0 एच.आर. 55 यू. 8929 ईंजन सं0 E413CDEK005241 चैचिस सं0 MC2A5PRCOEK302638 चोरीशुदा वाहन अभियोग सं0 198 दिनांक 23.06.2021 अन्तर्गत धारा 5, 6, 8 राज0 गोवंशीय पशु नियम 1995 एवं 476, 411 आईपीसी थाना टपूकड़ा जिला पुलिस भिवाड़ी राज0 में बरामद की हुई है। जिस पर फर्जी नंबर एच.आर. 74 ए. 2092 लिखा हुआ है, को केस प्रॉपर्टी ट्रांसफर किये जाने का निवेदन किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर थानाधिकारी पुलिस थाना टपूकड़ा पुलिस जिला भिवाडी से रिपोर्ट तलब की गई। थानाधिकारी थाना टपूकड़ा ने अवगत कराया कि प्रकरण सं0 198/2021 धारा 5, 6, 8 आर.बी.एक्ट. थाना टपूकड़ा जप्तशुदा वाहन कन्टेनर रजि0 सं0 एच.आर. 55 यू. 8929 ईंजन सं0 E413CDEK005241 चैचिस सं0 MC2A5PRCOEK302638 मॉडल 2014 कलर ब्राउन जिस पर आगे व पीछे की तरफ नम्बर प्लेट पर एच.आर. 74 ए. 2092 लिखा हुआ है कि तकमील तफतीस पूर्ण हो चुकी है। आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट किता कर नं0 59 दिनांक 12.05.2022 को माननीय न्यायालय एमजेएम तिजारा में पेश की जा चुकी है। जप्तशुदा वाहन का ट्रांसफर वास्ते अनुसंधान किये जाने पर थाना हाजा को कोई ऐतराज नहीं है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया व रिपोर्ट पुलिस थाना टपूकड़ा पुलिस जिला भिवाड़ी में जप्तशुदा वाहन कन्टेनर रजि0 सं0 एच.आर. 55 यू. 8929 ईंजन सं0 E413CDEK005241 चैचिस सं0 MC2A5PRCOEK302638 मॉडल 2014 कलर ब्राउन जिस पर आगे व पीछे की तरफ नम्बर	

जिला कलक्टर, अलवर

प्लेट पर एच.आर. 74 ए. 2092 लिखा हुआ है, को थानाधिकारी पुलिस थाना टपूकड़ा की अनापत्ति के आधार पर थानाधिकारी पुलिस थाना मानेसर, जिला गुरूग्राम हरियाणा को स्थानांतरित करने के आदेश दिये जाते है। तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

जिला कलक्टर
अलवर